न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./2874/2004/जयपुर

1– सुक्खा पुत्र भवाना
2– रामसहाय पुत्र भवाना (मृतक)
जरिये वारिसान :–
2/1. राजूलाल बैरवा पुत्र रामसहाय बैरवा
2/2. प्रेमदेवी बेवा रामसहाय बैरवा
2/3. संतरादेवी पुत्री रामसहाय पत्नि बनवारीलाल बैरवा
निवासी लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।
2/4. बीनादेवी पुत्री रामसहाय पत्नि सुखलाल बैरवा
निवासी लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।
2/5. सुमित्रा देवी पुत्री रामसहाय उम्र 13 वर्ष नाबालिग)
2/6. अनिता देवी पुत्री रामसहाय उम्र 14 वर्ष नाालिग)
2/7. दिनेश कुमार पुत्र रामसहाय उम्र 12 वर्ष नाबालिग)
जरिये वली माता प्रेमदेवी पत्नि रामसहाय जाति बैवा
3– रामजीलाल पुत्र भवाना
4– गणेश पुत्र भूरयां
5– छगना पुत्र भूरया
समस्त जाति चमार निवासी गाम झोडिन्दा भोजपुरा तहसील एवं जिला जयपुर।

.....अपीलांट्स

बनाम

भोमाराम दत्तक पुत्र रामजीवन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर

.....रेस्पोडेंट्स

खण्ड–पीठ
शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री जयकृष्ण पारीक, अधिवक्ता अपीलांट्स।
रेस्पो0 उपस्थित नहीं, एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– जून, 2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 179/2001 में पारित निर्णय दिनांक 26–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट/वादी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, फागी के समक्ष विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा में वादी के स्वामित्व व आधिपतय कब्जे काश्त की आराज खसरा नंबर 1 रकबा 2.06 बीघा, खसरा नंबर 5 रकबा 2.17 बीघा कुल रकबा 2.05.03 बीघा भूमि स्थित है, जिस पर वादी पीढ़ी दर पीढ़ी लगान जमा कराता आ रहा है। इस भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी ने कभी भी इस भूमि पर लगान अदा नहीं किया। वादी से पूर्व इस विवादित भूमि पर वादी के पिता जीवण काबिज काश्त थे। इस आराजी पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादी के नाम अंकित हो गया, यह अंकन राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ है। प्रतिवादी झोडिन्दा भाजपुरा में नहीं रहता है, वह राजपुरा मे रहता है। दिनांक 20–6–1992 को एक अनजान व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई कि जमीन का विक्रय कर लें नहीं तो वह उसे बेदखल कर देगा। इस पर उसके द्वारा पटवारी से सम्पर्क किया गया जिससे पटवारी द्वारा गलत प्रविष्टियों की जानकारी दी गई। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी का उसे खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। दावे के विचारण के दौरान तनकी बनाना शेष थी और प्रतिवादी द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 इस आशय का पेश किया गया कि जब तक वादी अपने आपको रामजीवण का दत्तक घोषित नहीं करवा लेता तब तक वाद चलने योग्य नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बाद सुनवाई परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02–03–2001 द्वारा प्रतिवादी का प्राथमिक अनापत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी कानूनन

चलने योग्य नहीं मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 10–7–2001 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायाललय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–5–2004 द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उन्हें प्रतिप्रेषित किया है कि प्रकरण के विधि के प्रावधान के अनुसार तनकी कायम कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करें। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषत करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्ति भूल की है जबकि संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य अपीलीय न्यायालय के सम्मुख थी जिसके आधार पर स्वयं ही इस अपील का निर्णय करने में सक्षम थी, अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय आदेश 41 नियम 24 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय में सक्षम नहीं था तथा गोद पुत्र घोषित करन का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है इसलिए अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या–3 के आधार पर वाद को सक्षम नहीं मानकर निरस्त किये जाने का जो निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के तहत् था। इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित रिमाण्ड किये जाने का जो निर्णय पारित किया है, वह सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने तनकिया कायम कर गुणदोष के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय करने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जबकि इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 02–03–2001 को 4 तनकियात का निर्माण कर पूर्व में ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किय जाने का कोई औचित्य हीं नहीं था। अन्त में उनका कथन है कि अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा

पारित निर्णय दिनांक 26–5–2004 को खारिज किया जावे तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, फागी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–7–2001 को बहाल रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2016 आर.बी.जे. 221 (एच.सी.), 2015 डी.एन.जे. (रेव.) 122, 2003 (1) आर.आर.टी. 216, 2011 डी.एन.जे. डी.एन.जे. (एच.सी.) 1035, 2012 आर.आर.डी. 201, ए. आई.आर. 1999 (एस.सी.) 1125, ए.आई.आर. 2002 (एस.सी.) 771, 2007 (1) आर.आर.टी. 180 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी/वादी का अनुतोष दत्तक पुत्र की हैसियत से नहीं था, हमारा यह प्रकरण विरासत से संबंधित नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर यह सही पाया है कि प्रतिवादी ने अपने वादोततर में भी वादी के हक व अधिकार के हिस्से को कुछ हद तक माना है। अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार तनकी कायम कर गुणावगुण पर प्रकरण कि निस्तारण करने के लिए प्रतिप्रेषित करने में काई ऐसी विधिक भूल नहीं की है, तनकी कायम कर प्रकरण का निस्तारण किय जाना दावे के प्रकरणों में मेनडेटरी है तथा बिना प्लीडिंग के कोर्ट इस निष्कर्ष पर नहीं पंहुच सकता कि ये मामला सिविल नेचर का है या नहीं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– विचाराधीन प्रकरण में भोमाराम रेस्पोडेंट सं.1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इंद्राज दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत किया था। वादी भोमाराम ने अपने आप को मूल खातेदार रामजीवन का दत्तक पुत्र बताया था। वाद में यह कथन किया गया था कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1 रकबा 2 बीधा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 5 रकबा 2 बीधा 17 बिस्वा कुल रकबा 5 बीधा 3

बिस्वा ग्राम झोडन्दा भोजपुरा तहसील फागी में स्थित है जिसमें आधा हिस्सा प्रतिवादीगण सं.1 से 3 सुक्खा, रामसहाय एवं रामजीलाल पिसरान भावना एवं प्रतिवादीगण सं.4 से 5 गणेश, छिगाना पिसरान भूरया के नाम है जबकि इस भूमि का कब्जाकाश्त सेटलमेंट से पूर्व से ही वादी की है। वादी ने इस सबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा आदि का अनुतोष चाहा। प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम की गई है। जिसमें तनकी सं.3 इस आशय की है कि भोमाराम रामजीवन का दत्तक पुत्र नहीं है तथा इस आधार पर अपने आपको सक्षम न्यायालय से दत्तक पुत्र घोषित नहीं कराले जब तक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तनकी को कानूनी तनकी मानते हुये क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वाद खारिज किया है तथा यह माना है कि वादी का वाद इस कोर्ट को सुनने का न होकर सिविल न्यायालय को है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये यह अवधारित किया है कि वादी ने केवल खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाहा है न कि दत्तक पुत्र के आधार पर किसी प्रकार की रिलीफ चाही है तथा इस आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 26-5-04 से व्यथित होकर यह अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का है तथा इस वाद में दत्तक पुत्र की घोषणा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । स्पष्ट रूप से यह वाद राजस्व न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य है । वाद में अनुतोष की प्रकृति से यह स्पष्ट है कि अनुतोष प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि के संबंध में इस आधार पर यह है कि प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम इस भूमि का इन्द्राज गलत है तथा इस भूमि पर वादी का कब्जा काश्त सेटलमेंट के पूर्व से ही है । इस प्रकार वाद व अनुतोष की प्रकृति के प्रकाश में साक्ष्यों के आधार पर तनकी संख्या 3 का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है कि वादी का दावे में मुख्य आधार खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का है न कि दत्तक पुत्र के आधार पर किसी प्रकार का रिलीफ चाहने का । इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने विधिसम्मत एवं न्यायोचित निर्णय पारित किया है

जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । चूंकि प्रकरण में तनकियात कायम हो चुकी है । अतः विचारण न्याालय को निर्देश है कि वे उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए समस्त तनकियात का नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उभय पक्षकारान विचारण न्यायालय में दिनांक ..... उपस्थित हों ।

7– फलतः अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य